फर्द अहकाम

2021/451

[..]य

रामनारायण बनाम काना व अन्य

[..]ा संख्या / वर्ष 100/22 : ____ /20 ____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2/2/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस अन्तिम हेतु पत्रावली दिनांक 8/2/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
8/2/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस को मौका चाहते हैं। बहस अन्तिम हेतु पत्रावली दि० 10/2/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
10/2/23 [illegible] अप्रार्थीगण की ओर से 10/2/23	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम बाबत प्रार्थनापत्र धारा 111,128 दिनांक 16/02/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
16/2/23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का प्रा०पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा [illegible] तहसीलदार सांगानेर को निर्णय की पालना [illegible] तहत जारी हो। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [illegible] (हस्ताक्षर) उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.12.12 13:06:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या : 100 / 2022 (83 / 2021)

निर्णय दिनांक : 16/2/2023

उनवान

1. रामनारायण पुत्र मूलचन्द
2. नैनूराम पुत्र मूलचन्द
3. प्रभूलाल पुत्र मूलचन्द
4. रमेश पुत्र मूलचन्द
5. बद्रीनारायण पुत्र भूरा
6. लालचन्द पुत्र भूरा

निवासीगण पार्श्वनाथ नारायण सिटी के पास, मीणो की ढाणी, रामपुरा रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. काना पुत्र ग्यारसा
2. कालू पुत्र कल्याण
3. छोटू पुत्र ग्यारसा
4. बद्रीनारायण पुत्र कल्याण
5. बोदूराम पुत्र कल्याण
6. मन्ना लाल पुत्र कल्याण
7. मोहन लाल पुत्र ग्यारसा
8. शंकर पुत्र ग्यारसा (मृतक दौराने प्रार्थना–पत्र)

8/1. रामू पुत्र शंकर

8/2. रामफूल पुत्र शंकर

8/3. सीताराम पुत्र शंकर

निवासीगण पार्श्वनाथ नारायण सिटी के पास, मीणो की ढाणी, रामपुरा रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.12.12 13:06:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरग[illegible] अधिनियम

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 34 के खसरा नम्बर 216 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

224 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 696/217 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, कुल किता 8 कुल रकबा 1.9400 हैक्टेयर वाके ग्राम सुखिया, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहे है। उक्त भूमि के खातेदार मूलचन्द का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व काली देवी पत्नी स्व. श्री मूलचन्द व नीतू पुत्री स्व. श्री मूलचन्द है जिसके नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि का श्रीमान तहसीलदार के आदेश क्रमांक/भू.अ./20/1637 दिनांक 30.06.2020 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2020 को करवाया सीमाज्ञान के अनुसार जिसके अनुसार प्रार्थीगण काबिज काश्त है, परन्तु प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 216, 220, 221, 222, 223, 224, 228, 696/217 की भूमि के लगती हुई भूमि के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की भूमि जिनके खसरा नम्बर 210, 211, 212, 213, 214, 215, 221/1, 222/1, 224/1, 224/570, 226, 227, 228/1 वाके स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 तथा उनके प्रतिनिधि आये दिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि में दखल अन्दाजी करते रहते है जिस कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की सही प्रकार से देखभाल करने में असमर्थ रहते है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास करते रहते है तथा अप्रार्थी संख्या 9 के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान को नही मान रहे है तथा कहते है कि हम किसी सीमाज्ञान आदेश को नही मानते है हमारे जचेगी वहां तक कब्जा करेगे। प्रार्थीगण की भूमि के स्थाई सीमाचिन्ह नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान कारित करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि की सीमा में घुसपेठ करते रहते है इस कारण प्रार्थीगण को उक्त भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हुआ है जिससे भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद पडोसी काश्तकारों से न रहे। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 व उनके प्रतिनिधियां की हरकतों से परेशान हो गये है तथा आगे विवाद से बचने के लिए तथा आगे भी भविष्य में कोई विवाद न हो इस कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि के अभिलेखित खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2020 के आधार पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकार है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खाता संख्या 34 के खसरा नम्बर 216 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.1200 [illegible] खसरा नम्बर 223 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.0900 [illegible] 228 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] कुल किता 8 कुल रकबा 1.9400 हैक्टेयर वाके ग्राम सुखिया, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.12.12 13:06:33 IST
Reason: SelfAttested

स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 02.11.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व अप्रार्थी संख्या 8/1 लगायत 8/3 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और दिनांक 03.11.2021 को प्रकरण में बहस सूनी जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी 1 लगायत 7 व अप्रार्थी संख्या 8/1 लगायत 8/3 की ओर से दिनांक 03.11.2021 के निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा प्रकरण इस आशय के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें। दिनांक 21.07.2022 को उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थीगण की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 10.08.2022 को अप्रार्थीगण की ओर से श्री कुलदीप वर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 01.02.2023 को अप्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसका प्रार्थीगण ने जवाब न देकर बहस करने का निवेदन किया और प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सूनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहारते हुए निवदेन किया कि प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 216, 220, 221, 222, 223, 224, 228, 696/217 के खातेदार काश्तकार है और अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर के साथ–साथ अप्रार्थीगण के भूमि खसरा नम्बर 210, 211, 212, 213, 214, 215, 221/1, 222/1, 224/1, 224/570, 226, 227, 228/1 की पत्थरगढी करवाई जावें।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण ने भूमि खसरा नम्बर 216, 220, 221, 222, 223, 224, 228, 696/217 कुल किता 8 कुल रकबा 1.94 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है जिसका प्रार्थीगण द्वारा सी[illegible]नांक 08.07.2020 करवाया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible] खसरा नम्बर 210, 211, 212, 213, 214, 215, 221/1, 222/1, 224/1, 224/570, 226, 227, 228/1 कुल किता 13 कुल रकबा 5.68 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है जिसका अप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2019 को करवाया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों ही अपनी–अपनी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.12.12 13:06:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

की सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि अपने स्तर पर राजस्व टीम गठित कर उनके ग्राम सुखिया, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 216, 220, 221, 222, 223, 224, 228, 696/217 कुल किता 8 कुल रकबा 1.94 हैक्टेयर एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 210, 211, 212, 213, 214, 215, 221/1, 222/1, 224/1, 224/570, 226, 227, 228/1 कुल किता 13 कुल रकबा 5.68 हैक्टेयर का उभयपक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 एवं दिनांक 13.06.2019 के अनुसार नियमानुसार स्थाई सीमाचिन्ह कायम करें। उभयपक्षकारान पत्थरगढी फीस नियमानुसार जमा करायेगे। पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान भूमि की बेदखली हस्तगत प्रकरण में आवृत नही होगी। तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो की प्रकरण में किसी दिगर न्यायालय से स्थगन आदेश ना हो तो निर्णय की पालना की जावे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/2/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.12.12 13:06:33 IST
Reason: SelfAttested